मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /09/2017

क्रमांक एफ 12–20/2016/17/मेडि–1 :: डॉ0चन्द्रशेखर भार्गव, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल माधवनगर जिला उज्जैन के पद पर पदस्थ रहने के दौरान की गई अनियमितताओं में समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.12.2016 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये। डॉ0चन्द्रशेखर भार्गव से प्राप्त प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14(5)(ख) अनुसार जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

2/– अतः राज्य शासन एतद द्वारा डॉ0चन्द्रशेखर भार्गव, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल माधवनगर जिला उज्जैन के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की विस्तृत जांच कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14(5) (ख) अनुसार संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(उपेन्द्रनाथ शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल दिनांक 27/09/ 2017

पृ0 एफ 12–20/2016/17/मेडि–1
प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल।
2– संयुक्त संचालक (जांच अधिकारी) स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर जांच कार्यवाही हेतु डॉ0भार्गव के आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न है। जांच की कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन शासन को भेजने का कष्ट करें।
3– उपसंचालक (विज्ञप्त)संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)। जांच कार्यवाही में जांच अधिकारी का पूर्ण सहयोग देने एवं आदेश की एक प्रति डॉ0भार्गव को तामील कराने हेतु।
5– डॉ0चन्द्रशेखर भार्गव, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल माधवनगर जिला उज्जैन
6– आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

संलग्न–स.क.–2हेतु

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग